		अधिक संख्या में नुकसान	साथ, उंचाईयां क्रमशः 14 मी० एवं 14.5 मी० हैं। ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाश्य दोनों के ढांचे इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैमस् द्वारा विनिर्दिष्ट उंचाई मापदण्ड के संदर्भ में निम्न खतरे वर्ग के अंदर हैं। यद्यपि जल भण्डारण क्षमता के संदर्भ में, ऐलाइन बैराज तथा मध्यस्थ जलाश्य दोनों की भण्डारण क्षमता क्रमश 0.125 तथा 0. 195 मिलियन क्यू० मी० है जोकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैमस् की 0.1 से एक मिलियन क्यू० मी० क्षमता के मध्यम खतरे वर्ग में आतें हैं। जल भण्डारण ढाचों की सुरक्षा के लिए उपायों में सम्मिलित हैं : ❑ परियोजना के लिए प्रस्तावित जलाश्य भण्डारण ढांचों की सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए हाइड्रोलिक मॉडल परीक्षण। कम्पनी ढाचों की सुरक्षा की पुष्टि के लिए ऐसे हाइड्रोलिक मॉडल परीक्षण करवा रही है। ❑ कम्पनी अपवर्तन ढांचा सुरक्षा डिजाईन की नियमित जांच एवं अनुरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र अभियन्ता की नियुक्ति करेगी जो परियोजना के निर्माण चरणों के दौरान डिजाईन का सत्यापन करेगा तथा इनका नियमित निरिक्षण करेगा।	❑ अनुभाग 9.4.2, परिच्छेद 3 तथा तालिका 9.6, पृ 313 ❑ तालिका 10.1, बिन्दु ड.4, पृ 323	विद्युत परियोजना के जल भण्डारण एवं अपवर्तन ढांचे की ऊंचाई का वर्गीकरण, प्रतिलिपि **संलग्नक X**

			❑ एक स्वंतत्र अभियन्ता परियोजना प्रस्तावकों को डिजाइन, निर्माण एवं संचालन स्तरों पर सभी ढांचों की सुरक्षा के परिणामों की समीक्षा के बारे में सविधिक रिपोर्ट करेगा। ❑ कम्पनी परियोजना के चालू होने से पहले किसी आपातकालीन स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए बनावटी परीक्षणों के तंत्रों के साथ आपातकालीन प्रत्युत्तर योजना के स्थान पर एक अच्छी प्रकार की रिहर्सल को सुनिश्चित करेगी।		
23	**भूचाल, जंगल की आग, भूस्खलन आदि प्राकृति आपदाओं के कारण खतरा**	प्राकृतिक आपदाओं से परियोजना घटकों के ढाचों को नुकसान होने से चारो तरफ के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो सकता है।	प्राकृतिक खतरो से परियोजना के घटकों को ढांचागत नुकसान हो सकता है जिससे बदले में चारों तरफ के क्षेत्र में विस्तृत नुकसान होगा। कम्पनी सुनिश्चित करेगीः ❑ परियोजना ढांचों के विस्तृत डिजाइन एवं इंन्जीनियरिंग के दौरान पर्याप्त इन्जीनियरिंग उपायों को सम्मिलित करना ताकि उन्हे प्राकृतिक खतरों से बचाया जा सके। ❑ हिमालय क्षेत्र (क्षेत्र - V) के लिए उच्चतम लागू सुरक्षा घटक के साथ इसके	**खण्ड - I** ❑ अनुभाग 10.1, बिन्दु सं० ड8, पृ० 324 ❑ अनुभाग 10.16, पृ 365-367	❑ सुरंग पर भूकम्पीय प्रभाव का मूल्याकंन करने के लिए रूड़की विश्वविद्यालय को दिए गए कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि **संलग्नक**

			डिजाईनों के लिए परियोजना ढांचो को सत्यापन करने की आवश्यकता है □ कम्पनी ने सुरंगों पर भूकम्पीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए रूड़की विश्व विद्यालय, रूड़की, भारत को लगाया है □ कम्पनी परियोजना के चालू होने से पहले किसी आपातकालीन स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा नियमित जांचों के लिए बनावटी परीक्षणों के तंत्रों के साथ आपातकालीन प्रत्युत्तर योजना के स्थान पर एक अच्छी प्रकार की रिहर्सल को सुनिश्चित करेगी।		**XIV**
24	**श्रमिकों द्वारा परियोजना प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव**	यह एक सम्भावना है कि प्रवासी मजदूर संचारी रोग से ग्रसित हों, जिससे परियोजना प्रभावित गावों में स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।	सम्भव स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए कम्पनी निम्नलिखित तरीकों का सर्मथन करेगी एवं उन्हें अपनाएगीः □ खास व्यक्तिगत बचाव उपस्कर का अनिवार्य प्रयोग. □ बजटीय सहायता सहित स्वास्थ्य प्रबन्धन योजना. □ प्रीनि में अस्पताल का निर्माण। □ पर्यावणीय अनुमोदक के अन्तर्गत दी गई शर्तो के अनुसार श्रमिको के लिए स्वास्थ्य एवं सफाई का रखरखाव तथा चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान	**<u>खण्ड - I</u>** □ तालिका 10.1, बिन्दु क. 3, पृष्ठ 316 □ तालिका 10.1, बिन्दु खघ. 4, पृ0 319 □ अनुभाग 10.13.3, पृ 360-361 □ अनुभाग 10.18.2, पृ 370-371 □ संलग्नक क, पर्यावरणीय निकासी का भाग क, बिन्दु ii और iii की	□ बार बार पुछे जाने वाले प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद 34** □ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III परिच्छेद 3**

			❑ जगतसुख में एक ऐम्बूलेन्स अथवा चलती फिरती डिस्पैन्सरी यूनिट का प्रावधान ❑ गांव तथा श्रमिक शिविर में एडस पर जागरूकता कार्यक्रम आयेजित करना	प्रतिलिपि ❑ तालिका 10.15, बिन्दु ज, बजट, पृ 392	
25	**सेब की फसलों पर प्रभाव**	परियोजना प्रभावित गावों में बढ़े हुए यातायात द्वारा उठने वाली धुल से सेब उत्पादन में कमी हो सकती है।	❑ निर्माण के अर्तगत सड़कों पर धूल को नियन्त्रित करने के लिए जल ट्रकों द्वारा छिड़काव किया जाएगा ❑ सभी सड़कों के उपरी भागों पर तारकोल की परत होगी; ❑ विभिन्न बिन्दुओं पर दुर्धटनाओं एवं जमघटों को दूर करने के लिए प्रतिदिन फ्लीट प्रबंधन के माध्यम से यातायात प्रबन्धन ❑ निर्माण सामग्री को ले जाने वाली गाड़ियों को ढका जाएगा तथा पानी के छिड़काव का प्रयोग किया जाएगा। ❑ कम्पनी परियोजना स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर वाहनों की आवाजाही को सीमित रखेगी ❑ निर्माण अपशिष्ट सामग्री के भारों को जल के साथ छिड़का जाएगा। ❑ कम्पनी परियोजना के निर्माण चरण के दौरान समुदाय के साथ चर्चा करके फसल बीमा की सम्भावनाओं का पता लगाएगी।	**खण्ड - I** ❑ तलिका 10.1, बिन्दु खख. 1, पृ0 317 ❑ तलिका 10.1, बिन्दु ख ख.3, पृ0 318 ❑ तलिका 10.1, बिन्दु खघ 12, पृ0 320	

			❑ कम्पनी फसल उत्पादन पर किसी भी प्रभावों के दावों स्थापित शिकायत निवारक तंत्र को इसे को सत्यापित करने के माध्यम से उचित प्रतिपूर्ति पर विचार करेगी।		
26	**आलू के बीज**	❑ परियोजना के लिए हमटा पर सरकारी आलू फार्म के अधिग्रहित होने के कारण आलू बीजों की हानि	❑ यदि आवश्यकता हुई तो परियोजना ग्राम पंचायतों को उसी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराएगी। ❑ कम्पनी आलू फार्म से खरीदे जाने वाले मूल्य पर आलू बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी।	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ अनुभाग 10.10, पृ0 346-347	❑ बार बार पूछे जाने वालें प्रश्न , दिनांक 2 जनवरी 2004, **संलग्नक IV, परिच्छेद 10**
27	**रोजगार के अवसर**	प्रभावित गांवों ने उनको दिए जाने वाले रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के बारे में मामला उठाया है। रोजगार के विषय हैः ❑ उपयुक्त नौकरियों की पहचान ❑ ग्रामीणों को	कम्पनी परियोजना प्रभावित परिवारों तथा स्थानीय समुदायों को वरीयता के आधार पर रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करेगी। इन मामलों को पुर्नवास कार्यवाही योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा जिसमें सम्मिलित हैंः ❑ परियोजना प्रभावित परिवार को प्रथम वरीयता के साथ स्थानीय लोगों को नौकरीयों में वरीयता ❑ आय बनाए रखने के लिए कार्यकुशलता को बढ़ाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम	**<u>खण्ड - I</u>** ❑ अनुभाग 10.1, बिन्दु क. 1, पृ0 316 ❑ बिन्दु खघ.14, पृ 321 ❑ अनुभाग 10.5.1 पृ0 325-328 ❑ अनुभाग 10.5.3, पृ0 330-331 ❑ अनुभाग 10.5.5, पृ0 331 ❑ अनुभाग 10.6.1, बिन्दु 5,	❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III, परिच्छेद 2** ❑ धारा सं0 5.16, कार्यान्वयन अनुबन्ध का भाग 3, **सलंग्नक**

		नौकरी के लिए ट्रेनिंग ❑ स्थानीय लोगों को ठेके ❑ स्थानीय नौजवानों को ट्रकों के लिए बैंक ऋण ❑ पौध रोपण का पूरा कार्य महिला समूहों को दिया जाए ❑ अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों का मूल्याकंन ❑ प्रत्येक व्यस्क को अलग परिवार माना जाएगा ❑ सामुदायिक विकास योजना को ग्राम सभा से बातचीत के साथ बनाया जाएगा।	❑ संवेदनशील परिवारों के लिए स्थानांतरण भत्ता ❑ बाल श्रम को लगाने पर रोक ❑ समुदाय विकास योजना को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए भागीदारी का प्रस्ताव ❑ हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ क्रियान्वयन अनुबन्ध की धारा 5.16 के अनुसार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार के कम मे कम एक व्यक्ति को परियोजना में रोजगार ❑ कार्यकुशलता विकास सहित पुनर्वास सहायता के लिए 18 वर्षो से अधिक सभी परिवार के सदस्यों को एक अलग परिवार मानने पर विचार किया गया है। ❑ कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार गांव से टैक्सियों को किराए पर लेना जंहा जरूरत तथा दरें मेल खाती है।	पृ0 333 ❑ अनुभाग 10.6.3, पृ 336 ❑ तलिका 10.2, पृ 337-340 ❑ अनुभाग 10.11, पृ 347-353 ❑ तलिका 10.16, पृ0 311	**VIII** ❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III, परिच्छेद** 11 ❑ बार बार पुछे जाने वाले प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद** 33, रोजगार अवसर से प्रभावित ग्रामवासी

28	**सांस्कृतिक पहलुओं एवं पर्यटन पर प्रभाव**	कुछ ग्रामीणों ने बाहरी श्रमिकों तथा स्थानीय लोगों के रीति रिवाजों में अन्तर होने के कारण उठने वाली समस्याओं पर चिन्तांए व्यक्त की है। परियोजना के निर्माण चरण के दौरान ट्रैकिगं पर कुछ प्रभाव हो सकता है।	❑ निर्माण मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों का मेल-मिलाप कम से कम रखने के लिए नियमित जांच तथा तरीके अपनाए जाएंगे। ❑ निमार्ण कार्य के कारण ट्रैकिगं मार्ग के किसी भी नुकसान की मरम्मत कम्पनी करवाएगी। ❑ कम्पनी का यह मानना है कि ऐलाइन तथा दुंहगन बैराज स्थलों तक सड़क के निर्माण से पर्यटकों की संख्या में बढोत्तरी होने की सम्भावना है।	**खण्ड - I** ❑ तालिका 10.1, बिन्दु खघ, पृ0 321, खघ:14,	❑ बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिंनाक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद 37**
29	**जिन लोगों की भूमि ली जा रही है उन लोगो को भूमि के विकल्प में भूमि का प्रस्ताव**	यह सोचा गया है कि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए भूमि के मुआवजे प्रस्ताव उन लोगों को नहीं दिया गया है। जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है।	❑ प्रारूप ई एस आई ए में यह स्पष्ट किया गया है कि जो परिवार अधिग्रहण के बाद अपनी भूमि के 75 प्रतिशत से अधिक की हानि उठांएगे उन्हें अतिसवेंदनशील परिवार के रूप में पहचानित किया जाएगा तथा परियोजना उन्हे नकद मुआवजा या उनके द्वारा छोड़ी जा रही भूमि के बराबर मात्रा आकार मूल्य की एक वैकल्पिक भूमि परियोजना द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह भूमि उन परिवारों के वर्तमान स्थानों से अधिक	**खण्ड - I** ❑ अनुभाग 10.5.3 पृ0 330	

	नहीं दिया गया है।		दूरी पर नहीं होनी चाहिए। ❑ कम्पनी इस उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग की सहायता प्राप्त करेगी। ग्रामीणों को भूमि के लिए भूमि के मुआवजे का प्रस्ताव किया गया था। प्रभावित परिवारों ने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया है तथा नकद मुआवजे को स्वीकार करने को वरीयता दी है।		
30	धार्मिक भावनाएं	कुछ ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि दुहंगन नदी से उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। अतः जल अपवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।	इसे नोट किया जाए कि दुंहगन की धार्मिक भावनाओं का पहला संकेत, ई आर एम द्वारा आयोजित विस्तृत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों, कम्पनी द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाईयों तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा आयोजित फोकस समूह की बैठक के बाद प्रकाश में आया है। कम्पनी ग्रामीणों की सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है तथा ग्रामीणों के साथ धारा के समीप के निर्माण तालिका पर विचार करके धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिसंवेदनशीलताओं को समझकर, संभव परामर्शित सुरक्षा-उपायों का अनुपालन करेगी। कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना के सभी कर्मचारी तथा ठेकेदारी पर लिए गए स्टाफ द्वारा जहां कहीं लागू हो, विश्व बैंक की	**खण्ड – I** ❑ परिशिष्ट ग, प्रीनि गांव में 7 मई, 2003 को आयोजित बैठक के कार्यवृतों के रिकार्ड	

			सांस्कृतिक सम्पति नीति के अंतर्गत से संबधित प्रावधानों को मानेंगें।		
31	**शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं**	ग्रामीणों ने परियोजना क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए मांग उठाई है।	कम्पनी इस उदेश्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर एक विद्यालय भवन का निमार्ण करेगी। कम्पनी की प्रीनि गांव में एक अस्पताल तथा जगतसुख गांव में एक डिस्पैंसरी स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में एक चलती फिरती डिसपैन्सरी भी उपलब्ध रहेगी।		❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III परिच्छेद 13** ❑ बार बार पुछे जाने वाले प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004 **संलग्नक IV, परिच्छेद 35**
32	**परियोजना सड़को का प्रयोग करने की अनुमति**	एक आशंका जताई जा रही है कि परियोजना स्टाफ ग्रामीणों को परियोजना की सड़को का प्रयोग नहीं करने देगा।	ग्रामीणों तथा वाहनों की गतिविधि को परियोजना की सड़कों को पूर्ण रूप से प्रयोग करने की अनुमति होगी बशर्ते वह निर्माण चरण में सुरक्षा नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करें।		❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III परिच्छेद 4** ❑ बार बार पुछे जाने वाले

					प्रश्न दिनांक जनवरी 2, 2004, **संलग्नक IV, परिच्छेद 36**
33	**दाह संस्कार स्थल तक पहुंचने के लिए मार्ग**	❑ ग्रामीणों ने दाह संस्कार स्थल पर पंहुचने के लिए सुविधाजनक पंहुच मार्ग के बारे में मांग की है।	❑ ग्राम पंचायत से भूमि उपलब्ध होने पर कम्पनी दाह संस्कार स्थल पर पंहुचने के लिए पंहुच मार्ग बनाने के लिए सहमत है, बशर्ते वहां कोई पेड़ नहीं हो तथा प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा अनुमोदित हो।		❑ प्रीनि अनुबन्ध **संलग्नक III परिच्छेद 7**
34	**प्रकाश तथा बिजली का प्रावधान**	ग्रामीणों ने निम्नलिखित मांगे उठाई है। ▪ मुफ्त बिजली ▪ स्ट्रीट लाईटिंग	❑ ग्राम पंचायत के साथ हस्ताक्षर किए गए अनुबन्ध की शर्तों के आधार पर गांव में कम्पनी द्वारा सड़कों पर गांव के अन्दर विद्युतीकरण किया जाएगा।		❑ प्रीनि अनुबन्ध, **संलग्नक III, परिच्छेद 8.**
35	**जगतसुख के अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता**	ग्रामीणों का कहना है कि जगतसुख के पूर्व प्रधान से प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की कानूनी वैधता नहीं है।	कम्पनी ने 23 मई 1997 को गांव के तत्कालीन प्रधान से अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए कहा तथा इसे प्राप्त किया क्योंकि इसकी कानूनी आवश्यकता थी तथा इसी प्रमाणपत्र के आधार पर कम्पनी ने सभी सरकारी अनुमोदनों को प्राप्त		